जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 44 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 5 सितम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

जी.एस.टी. 2.0 (रिफॉर्म्स का नया दौर) केवल आशा पर निर्भर नहीं है

वित्त मंत्री आशा कर रही हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण रोज़मर्रा का सामान सस्ता होगा, और डिमाण्ड (मांग) बढ़ेगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। जीएसटी काउन्सिल द्वारा किए गए सुधार पूरे देश के लिए एक बड़ा बजट जैसा कदम हैं। यह कदम न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्यों के बजट को भी तय करने वाला अहम कारक बनेगा। माल और सेवा कर यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों (इनडायरैक्ट टैस्सेज़) को मिलाकर एक साझा कर ढांचा बनाया था और अब यह केंद्र व राज्यों दोनों की कुल आय का बड़ा हिस्सा है।

दरअसल, जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव और कर की श्रेणियों को घटाने की कोशिश के पीछे क्या तर्क है? सबसे पहले, यह कर दरों की श्रेणियों को सरल बनाने और घटाने के वादे को पूरा करता है।

यह सुधार, 2017 में जीएसटी लागू करते समय शुरू हुए व्यापक कर सुधारों का ही हिस्सा है। उस समय देश में केंद्र और राज्यों की कई अलग-अलग कर व्यवस्थाएँ थीं जिन्हें मिलाकर एक समान "कर प्रणाली" यानी जी.एस.टी., बनाई गई।

- विदेश में (विशेषकर अमेरिका में) ऊंची टैरिफ के कारण भारतीय सामान के निर्यात को धक्का लगेगा। वित्त मंत्री चाहती हैं कि विदेशों में मांग घटने से व्यापार में आई कमी की भरपाई, देश में स्थानीय खपत बढ़ने से पूरी की जा सकेगी।
- टैक्स घटा कर, "इन्टर्नल डिमाण्ड" बढ़ाने का फार्मूला कई देश पहले ही अजमा चुके हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी राष्ट्रपति रीगन की सरकार ने स्थानीय टैक्स काफी घटाये थे, तथा इससे देश में "इन्टर्नल डिमाण्ड" आंकलन से भी ज्यादा बढ़ी थी, और अमेरिका की इकॉनमी के वारे-न्यारे हो गये थे।
- पर अगर भारतीय उद्योगपतियों ने बढ़ती डिमाण्ड की पूर्ति के लिये, नया इन्वेस्टमैंट करके औद्योगिक क्षमता नहीं बढ़ाई, तो सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और मंहगाई बढ़ेगी, और इकॉनमी में उल्टा चक्कर घूमने लगेगा और अगर इकॉनमी इस व्यूहरचना में फंस गई तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा।

उस समय वादा किया गया था कि केवल दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन व्यवहारिक कारणों से चार स्लैब लागू किए गए और लक्ष्य रखा गया कि धीरे-धीरे इन्हें दो स्लैब्स में समेटा जाएगा। वर्तमान सुधार उसी दिशा में कदम है जिसमें अब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और एक अलग, 40 प्रतिशत का "सिन टैक्स" शामिल है।

औसतन, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कुल आय का लगभग 44 प्रतिशत है, तथा राज्यों की आय में इसका हिस्सा और भी अधिक है। इसलिए दरों में बदलाव से राज्यों की वित्तीय स्थिति केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी की दरें काउन्सिल तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस व स्थाई ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा।

नए जी.एस.टी. सुधारों की घोषणा से बजट बनाने के लिए एक आधार तय हो गया है।

जीएसटी 2.0 कहलाने वाले इस स्लैब सुधार की घोषणा पुराने बजट घोषणाओं जैसी लगी, जहाँ कर में बदलाव के असर से रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें ऊपर-नीचे होती थीं, सिगरेट महंगी, बीडी सस्ती, एसी महंगे, डीज़ल सस्ता और इसी तरह।

सवाल है कि अभी ये बदलाव क्यों? दरअसल, स्लैब घटाने और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जमानती अपराध पर महिला आरोपियों को 43 दिन जेल में रखना खेदजनक

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद, महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेजने तथा उन्हें 43 दिन तक जेल में रखने पर खेद जताया है। इसके साथ ही, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे प्रकरण की

- हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्र नहीं निपटायें।

जानकारी जिले के गार्जियन जज को दें। वहीं अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्रवाई करें। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रकरण में उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है तो वे कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकती हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मीतू पारीक और इंदू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, न्यायिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने माना उत्तरी राज्यों में भारी बाढ़ का प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में बाढ़ में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे बहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही पर गहरी चिंता जताई और पहाड़ी इलाकों में "पेड़ों की अवैध कटाई" को इसका प्राथमिक कारण माना।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान बहती लकड़ियों के वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा, "यह एक गंभीर मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है।

पीठ ने केंद्र सरकार को - पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से - और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई और जस्टिस के. विनोदचंद्रन की बैंच ने इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं इससे लगता है पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।
- एस जी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी, नैशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

सरकार ने "सिन गुड्स" (हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं) पर 40 प्रतिशत जी एस टी लगाया

सिन गुड्स ऐसे उत्पाद हैं, जो स्वास्थ्य एवं समाज के लिए हानिकारक हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। सरकार ने "सिन गुड्स" और कुछ विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-जीएसटी) की एक नई स्लैब शुरु की है, जो अब तक की सबसे ऊँची दर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस नई जीएसटी संरचना में अधिकांश वस्तुओं पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह नई टैक्स -व्यवस्था 22 सितम्बर से लागू होगी।

"सिन गुड्स" वे उत्पाद हैं जो स्वास्थ्य या समाज के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनमें तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब और शक्कर युक्त पेय शामिल हैं। दुनिया भर की सरकारें इन वस्तुओं पर अधिक कर लगाती हैं, ताकि इनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके और साथ ही जनकल्याण के लिए राजस्व भी बढ़ाया जा सके।

- सिन गुड्स में शराब, सिगरेट, गुटखा, जर्दा के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी वाले फलों के रस और कैफीन युक्त पेय पदार्थ प्रमुख हैं।
- सुपर लग्ज़री, अर्थात् अति विलासिता वाली वस्तुओं में लग्ज़री कारें, महंगी बाइक्स, रेसिंग कार, लग्ज़री यॉट, निजी विमान आदि को रखा गया है।
- सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगाया है।

भारत में, सिन गुड्स पर पहले से ही सबसे ऊँची जीएसटी दर लागू थी- 28 प्रतिशत के साथ अतिरिक्त क्षतिपूरक उपकर (कम्पेन्सेशन सेस)। अब चूँकि उपकर को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, तो यह कर भार 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में समाहित कर दिया गया है।

40 प्रतिशत स्लैब को विशेष दर कहा गया है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित वस्तुओं पर लागू होती है - मुख्यत: पाप वस्तुओं और कुछ अत्यंत विलासिता की वस्तुओं पर। इसके पीछे के कारण: उपकर समाप्त करने से इन वस्तुओं पर कर -संग्रह में कमी आ सकती थी। इसे जीएसटी में मिलाकर सरकार ने कर- भार को यथावत रखा है।

यह ऊँची दर उन उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए है जो स्वास्थ्य या सामाजिक दृष्टि से हानिकारक हैं।

40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत सिन गुड्स की पूरी सूची: पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस. आई. भर्ती : एक और अभ्यार्थी गिरफ्तार

जयपुर, 4 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 मामले में कार्रवाई करते हुए, एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ कर लिखित परीक्षा पास की थी। आरोपित ने आठ लाख रुपए में सौदा करके पेपर लेकर लिखित परीक्षा तो पास की,लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। एसओजी की

- आरोपी ने लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा पास की थी, पर अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ।

टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ कर लिखित परीक्षा पास करने वाले आरोपित रिंकू यादव (33) निवासी नगर जिला डीग भरतपुर हाल कामां जिला डीग भरतपुर को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आया कि रिंकू ने कार्तिकेय शर्मा के साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे

कई विधायक बारिश से खराब हुई फसल भी लेकर आये

जयपुर, 4 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को, भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष में बैठे कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन में नारेबाजी की, वैल में आकर विरोध जताया और स्पीकर से भी तीखी बहस की। हालात इतने बिगडे कि सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पडी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही चल सकी। हंगामे के बीच तीन बिल पास करवाए गए और फिर कार्यवाही सोमवार, 8 सितंबर तक के

- आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच स्थगन प्रस्तावों का जवाब दिया।

लिए स्थगित कर दी गई।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरूवार को बारिश से खराब हुई फसलों और किसानों की अनदेखी पर विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा परिसर पहुंचे।

विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई विधायक अपने हाथों में, भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलें भी लेकर आए थे, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा सके।

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुद्दा उठाया। विधायक अमित चाचाण और नरेन्द्र बुढ़ानिया ने कहा कि लाखों एकड़ में फसलें खराब हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अब तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ के चुनाव पर रोक लगाई

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ के 6 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महावीर रांका, शतरंज संघ और सहकारिता विभाग को नोटिस जारी

- पूर्व में अध्यक्ष रहे महावीर रांका, शतरंज संघ व सहायता विभाग से जवाब मांगा।

कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश अशोक कुमार भार्गव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान शतरंज संघ का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस को "वोट चोरी" के बाद "एथनॉल मिक्सिंग" दूसरा सबसे बड़ा स्कैम नज़र आता है

कांग्रेस के मीडिया व पब्लिसिटी चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस नए स्कैम को साबित करने के लिये काफी आंकड़ेबाजी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेडा ने गुरुवार को यहां एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला, खासकर एथनॉल नीति और जीएसटी सुधारों में देरी को लेकर।

उन्होंने जीएसटी सुधारों में आठ साल की देरी पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब सरकार आखिरकार राहुल गांधी की लंबे समय से दी जा रही सलाह को मान रही है। राहुल गांधी ने गरीबों और व्यापारियों पर जीएसटी के प्रभाव की पुनर्समीक्षा की मांग की थी।

उन्होंने कहा, आज एथनॉल पर हम थोड़ी बात करेंगे, काफी दिनों से चर्चा चल रही है इथेनॉल पर और एथनॉल पर

- खेड़ा के अनुसार, सात साल हुए जब भाजपा ने "एथनॉल" पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल के दाम गिराने का दावा किया था, पर सात साल बाद आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
- भारत का प्रारंभिक वादा था, नगर पालिकाओं से निकले "वेस्ट" को एकत्रित कर उससे एथनॉल बनाया जायेगा। जिसे पेट्रोल व डीजल में मिलाकर बेचा जायेगा और पेट्रोल 55 रु. लीटर के भाव बिकेगा और इसलिये सरकार एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही है।
- पर सात साल बाद भी म्युनिसिपल वेस्ट व लकड़ी के बुरादे से एक लीटर एथनॉल भी नहीं बना है।
- इसी प्रकार यह भी वादा किया गया था, कि एथनॉल के उपयोग से प्रदूषण कम होगा, जबकि सच तो यह है कि लीटर एथनॉल बनाने के लिये तीन हजार लीटर पानी की खपत होती है। इससे पर्यावरण का फायदा है या नुकसान।
- खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में निर्मित वाहनों में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से, इंजन बहुत जल्दी फुंक जाता है।

बात करने से पहले मैं उस वायदे की बात करुंगा, जो 2014 में केन्द्र सरकार ने बार-बार दोहराया था। उन्होंने ये कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट जो नगरपालिका से निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथेनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, केन्द्र सरकार के शब्द हैं, सन् 2014 के शब्द हैं और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून, 2014 में और बार-बार दोहराते रहे, दोहराते रहे। सितंबर, 2018 में कहा कि सरकार एथनॉल उत्पादन के पांच संयंत्र स्थापित कर रही है, जहाँ लकड़ी का जा बुरादा होता उससे और म्युनिसिपल वेस्ट से एथनॉल बनाया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में राहत कैंप भी पानी में डूबा

नई दिल्ली, 04 सितंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार दोपहर तक यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से सवा दो मीटर ऊपर तक पहुंच गया।

- यमुना का पानी खतरे के निशान से सवा दो मीटर ऊपर तक पहुंच गया है।

इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा के कई इलाके डूब गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, मयूर विहार फेज-1 का राहत शिविर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। रिंग रोड, अलीपुर, बुराड़ी, मयूर विहार, रिंग रोड समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार, सिविल लाइन्स समेत कई एरिया भी बाढ़ से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)